फूलचन्द बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्या: 342 / 2024

ांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बावत् प्रार्थी की कृषक हिस्सा भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम का सही अंकन करवाने बावत् पेश किया। बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। बहस प्रार्थी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की वाके ग्राम मानपुर नांगलिया व ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, पटवार हल्का बीलवा तह0 सांगानेर में स्थित खाता संख्या 22, 49, 50 में प्रार्थी का नाम मूल्या पुत्र रूपा के स्थान पर शुद्ध व सही नाम फूलचन्द पुत्र रूपनारायण शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को सुनाया गया। (हिम्मत सिंह) आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर उपखण्ड अधिकारी सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:31:33 IST
Reason: SelfAttested